न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 02/2015

पूनम देवी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी पूनम देवी द्वारा ज्ञापांक 907–1 दिनांक– 13.08.2015 द्वारा अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील वाद को खरीज किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया हैं।

30.9.17

अपीलार्थी का कहना है कि आँगनबाड़ी सेविका हेतु वांछित सभी अर्हत्ता को अपीलार्थी द्वारा पूरा करती हैं तथा वह पिछड़े वर्ग की गरीब महिला हैं। अपीलार्थी प्रवेशिका परीक्षा में 307 अंक प्राप्त की है जो 58.14 प्रतिशत होता हैं। मेधा सूची के क्रमांक– 4 पर अपीलार्थी का नाम हैं। सोनवर्षा प्रखण्ड अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र मौरा कोड नं0–41 के सेविका चयन हेतु दिनांक– 18.11.2013 को आम सभा आहूत की गयी थी, जिसमें कुल 113 गॉव के सामान्य लोग, चयन समिति के 5 सदस्य, 4 अभ्यर्थी आम सभा में उपस्थित थे, जबकि एक अभ्यर्थी सुकुल देवी अनुपस्थित थी। पाँच प्रस्ताव आम सभा में रखा गया। प्रस्ताव संख्या–1 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बाहुल्य। प्रस्ताव संख्या– 2 में चार अभ्यर्थी के उपस्थित रहने एवं एक अभ्यर्थी सुकुल देवी की अनुपस्थिति। प्रस्ताव संख्या–3 सर्वाधिक अंक प्राप्त आवेदिका प्रेमा देवी। प्रस्ताव संख्या–4 प्रेमा देवी के उम्र को लेकर चयन में आपत्ति क्योंकि उनकी पुत्री भी अन्य केन्द्र पर आँगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत बतलायी गयी। अन्ततः आम सभा द्वारा प्रेमा देवी को चयनित कर चयन संबंधी पत्रांक– 649 दिनांक– 30.11.2013 का निर्गत किया जाना जो गलत तथ्यों पर नियम के विरूद्ध निर्गत किया गया हैं। उक्त चयन के विरूद्ध अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष अपील वाद 64/2013–14 दाखिल किया था, जो दिनांक– 11.08.2015 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा खारीज कर दिया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उक्त पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश को निरस्त कर तत्काल पारित आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचना की हैं। पारित आदेश का निरस्त करने के लिए निम्नांकित आधार प्रस्तुत किया हैं।

कि कंचन कुमारी, पति– प्रमोद महतो (प्रेमा देवी की पुत्री) भी पूर्णिया जिलान्तर्गत भर्राही प्रखण्ड थाना–बड़हारा कोठी में सेविका पद पर कार्यरत हैं। प्रेमा देवी एवं उनकी पुत्री विभिन्न आँगनबाड़ी केन्द्र में सेविका पद पर कार्यरत हैं। निर्देशिका में स्पष्ट प्रावधान है कि माँ एव पुत्री एक साथ विभिन्न आँगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन नहीं किया जा सका। उम्र के बिन्दु पर भी चयन में काफी अनियमितता बरती गयी हैं। प्रेमा देवी का चयन लगभग 31 वर्ष की उम्र में की गयी है। दूसरी ओर प्रेमा देवी की पुत्री कंचन कुमारी का जन्म तिथि दिनांक–10.04.1987 है, जो लगभग 27 वर्ष की उम्र में सेविका पद पर चयनित होकर पूर्णिया जिलान्तर्गत बड़हरा कोठी के भर्राही ग्राम में कार्यरत हैं। माता प्रेमा देवी एवं पुत्री कंचन कुमारी के उम्र में मात्र 4 वर्ष का अन्तर हैं। इस तरह या तो मॉ या पुत्री किसी का उम्र गलत दिखलाया गया है, जिस स्थिति को चयन समिति के समक्ष रखा गया थ। यह सब वर्त्तमान मुखिया, मौरा पंचायत– कोपा के अजय रजक के सॉठ–गॉठ से किया गया हैं। आरक्षी बल भी आम सभा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। फलतः मुखिया के डर से कोई आपत्ति नहीं किया। जब पूर्व मुखिया आशा राम द्वारा आपत्ति की गयी तो कोई सुनवाई नहीं कर प्रेमा देवी को चयनित कर लिया गया। आम सभा के प्रस्ताव संख्या–4,5 में माता–पुत्री के उम्र संबंधी तथ्य पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने भी प्रश्न उठाया था। इस तरह स्पष्ट होगा कि अधिकारी सभी तथ्य जानते हुए भी गलत तरीके से प्रेमा देवी का चयन किया हैं। अधिकारियों के पास चयन प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितता संबंधी आवेदन करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

अपीलार्थी पूनम देवी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि प्रेमा देवी द्वारा दाखिल कागजात बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना में एवं महाविद्यालय विमुक्ति प्रमाण–पत्र में एवं अन्य दाखिल कागजातों में पति का नाम सत्य नारायण महतों है, एनेक्सर–6 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रेमा देवी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र गलत हैं। प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण–पत्र जो प्रेमा देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का मिलान यदि चयनित सेविका के पुत्री कंचन देवी जो स्वयं सेविका के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र से किया जाएगा तो स्पष्ट होगा कि कंचन देवी (पुत्री) से उसकी मॉ की उम्र (जन्म तिथि शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के अनुसार) में मात्र चार वर्षो का अंतर हैं। यह तथ्य स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि प्रेता देवी की शैक्षणिक प्रमाण–पत्र पूर्णतया गलत हैं। उन्होंने लिखित बहस में आगे कहा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अधीनस्थ न्यायालय के आँगनबाड़ी

30.9.17

वाद संख्या– 33/2013–14 में अनीता देवी के मुकदमा में माँ–बेटी के उम्र में 9 वर्ष के अंतर को व्यवहारिक प्रतीत नहीं मानते हुए उसके दावा को गलत पाया गया हैं।

प्रतिपक्षी प्रेमा देवी का कहना है कि प्रस्तुत वाद खर्च के साथ–साथ खारीज करने योग्य है। क्योंकि, अपीलार्थी ने तथ्यों को छुपाकर बनावटी आरोपों पर अपील दाखिल किया हैं। अपीलार्थी ने न्याय प्रक्रिया को गलत बताकर भ्रामक एवं गलत तथ्यों के आधार पर अपील दाखिल किया है, जिसका उद्धेश्य प्रतिपक्षी को तंग करने का है, क्योंकि अपीलार्थी को स्वयं पता नहीं है कि प्रतिपक्षी एवं उनकी पुत्री का वास्तविक उम्र क्या हैं, जो अपीलार्थी के अपील आवेदन के पृष्ट संख्या– 7,8 की कंडिका–8 के अवलोकन से स्पष्ट होगा। मार्ग–दर्शिका 2011 की कंडिका में वाद को लटकाने के उद्धेश्य से वाद दाखिल किया गया हे। इनके द्वारा दि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड पोटेक्सन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 की धारा– 94 का हवाला देते हुए किसी व्यक्ति के प्रजन्मक्सन एवं डीलर मेवेशन ऑफ एज उद्धृत कर इसकी छाया प्रति संलग्न की है, जो निम्नवत हैं:

(a) The of birth certificate from the school or the matriculation or equivalent certificate from concerned examination Bond if available

(b) the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat.

(c) and only in absence of (a) and (b) above, age shall be determined by an ossification test or any other latest medical age determination test conducted on the orders of the committee of the Boards.

इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी प्रेमा देवी का कहना है कि अपीलार्थी ने इन्हें गलत ढंग से प्रावधान के विरूद्ध तंग करने हेतु अपील दायर किया है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है और अन्ततः अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील वाद को खारीज करने की याचना की हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। मुख्य बिन्दु प्रतिपक्षी की पुत्री के सेविका के रूप में अन्य जिला में कार्य करने तथा प्रतिपक्षी के उम्र एवं पुत्री के उम्र में अन्तर कम होने का है।

चूँकि चयन के समय प्रतिपक्षी द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र एवं योग्यता का प्रमाण संलग्न है तथा अपीलार्थी अन्य तथ्यों के बारे में भी साक्ष्य नहीं दे पायी हैं।

अतः अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
30.8.17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

30.8.17
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1396-2/विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.09.017